बी0पी0 सिंह, वन संरक्षक/निदेशक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 02.10.2020 को जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित त्रिजुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.50 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या –

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री ललित मोहन नेगी, वन क्षेत्राधिकारी, ऊखीमठ रेंज, श्री मंगल सिंह नेगी, वन दरोगा एवं श्री विजय सिंह नेगी, वन दरोगा साथ में रहे। मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण से पहले मार्ग का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया :–

वैकल्पिक संरेखण का निरीक्षणः–

1. इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक है।
2. इस संरेखण में अधिक संख्या में बांज वृक्षों का पातन हो रहा है।
3. इस संरेखण में अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है।
4. इस संरेखण में लाभान्वित होने वाली बसावट कम है।

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षणः–

1. वैकल्पिक संरेखण की तुलना में इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या कम है।
2. यह संरेखण भू–वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है।
3. इस संरेखण से लाभान्वित होने वाली बसावट वैकल्पिक संरेखण की तुलना में अधिक है।

निरीक्षण के दौरान त्रिजुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण में बांज प्रजाति के 24 वृक्ष तथा अन्य प्रजातियों के 262 वृक्षों सहित कुल 286 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया।

अतः प्रस्तावित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।
2. मोटर मार्ग निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।

P.T.O.

3. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोज क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।
4. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।
6. प्रस्तावित मोटर मार्ग पथरीले क्षेत्र में मुश्किल से उगे वनों से निकलता है, ऐसे में यदि मार्ग निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग किया जाता है तो आस–पास के वनों को भारी क्षति होने की सम्भावना है। इसके साथ ही क्षेत्र से लगे केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण के वनों में वन्यजीवों पर भी ब्लास्टिंग का कुप्रभाव पड़ेगा। अतः मार्ग निर्माण के दौरान **डायनामाईट ब्लास्टिंग के स्थान पर साईलेंट (Silent) अथवा केमिकल ब्लास्टिंग को प्रयोग में लाया जाय।**

(बी0पी0 सिंह)
वन संरक्षक/निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक 964 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

2:– उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

3:– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 ऊखीमठ।

(बी0पी0 सिंह)
वन संरक्षक/निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

O/C